न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 116/2019
मदनलाल पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. बडौदा राज0 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराना जरिये शाखा प्रबंधक (हजफ)
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड

वकील वादीगण —श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील प्रतिवादीगण नं. 1—श्री किशोर कुमार जांगिड

निर्णय

निर्णय तिथि 05.08.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवीपुरा में भूमि ख.न. 449 रकबा 3.27, ग्राम अम्बेडकर नगर में भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 है0 स्थित है। उपरोक्त आराजीयात को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 के दादा गोपाल पुत्र कुशला थे। जिनके चार पुत्र किशना परत्या उदर्फ परतु मोहन श्योपाल थे। जिनमें से मोहन का स्वर्गवास हो गया जिसके पुत्र ताराचन्द व सुगना हैं। किशना परत्या मोहन के हिस्से की आराजी बाबात दावे कोई विवाद नही है और ना ही इसके विरूद्ध दावे में कोई दावे में से अनुतोष प्रतिवादी नं. 1 क नाम दर्ज भूमि बाबत चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 भंवरलाल के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी का आधा हिस्सा है अर्थात वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में आधा हिस्सा वादी का व आधा हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा गलत दर्ज है। वादी का पिता श्योपाल वादी के दादा गोपाल के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो गया था तथा श्योपाल के फौत होने के कुछ समय पश्चात ही वादी के दादा गोपाल का स्वर्गवास हुआ है। गोपाल का स्वर्गसा हुआ तब उनकी कृषि सम्पदा का राजस्व रिकार्ड उनके पुत्र किशना परत्या मोहन व मृतक श्योपाल के पुत्र भंवरलाल के नाम से दज हो गया। जब गोपाल का स्वर्गवास हुआ तब वादी मात्र 5 वर्ष का ही था वादी के नाम 1/4 हिस्से की आराजी का राजसव रिकार्ड वादी मदनलाल व प्रतिवादी नं. 1 भंवरलाल के नाम से दर्ज होना चाहिये था परन्तु अकेले प्रतिवादी सं0 1 भंवरलाल के नाम से दर्ज हो गया जबकि वादी स्व0 श्योपाल का जायन्दा पुत्र था जिसका भी वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्सा है। जिस पर वादी काबिकज काश्त है परन्तु वादी के कब्जे काश्त की भूमि का राजस्व रिकार्डअकेले प्रतिवादी सं0 1 के नाम से गलत दर्ज हो गया जिस बाबत वादी को पूर्व में कभी कोई जानकारी नही हुई जिसके तुरन्त पश्चात ही वादी की ेर से अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादी को दिनकि 26.06.2019 को राजसव अभिलेख की नकल लेने पर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। वादी को जानकारी होने के रोज से उक्त वाद अन्दर मियाद सेवामें पेश है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम देवीपुरा की सरहद में आराजी ख.न. 449/3.27, ग्राम अम्बेडकर नगर की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/8 हिस्से का वादी मदनलाल को व 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 भंवरलाल

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावे व शेष रिकार्ड बदस्तूर रखा जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 3 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 2 का ऋण पूर्ण अदा होने के कारण नाम हजफ किया जा चुका है। प्रतिवादी नं. 1 की और से श्री किशोरकुमार जांगिड एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ तथा वादी व प्रतिवादी नं.1 की और से राजीनामा पेश किया जाकर वर्णित किया गया कि ग्राम देवीपुरा में भूमि ख.न. 449/3.27 तथा ग्राम अम्बेडकर नगर में भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 है0 स्थित है। वादी व प्रविादी नं.1 का बराबर बराबर हिस्सा 1/8, 1/8 है। उपरोक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से प्रतिवादी नं.1 का नाम दर्ज हो गया था। वादी व प्रतिवादी नं. के दादा गोपाल की खातेदारी में थी। गोपाल के चार पुत्र किशना परतु मोहन व श्योपाल थे जिनका उक्त भूमि में 1/4, 1/4 हिस्सा था। वादी के पिता श्योपाल का वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज नही हुआ था क्यांकि वादी के पिता श्योपाल का स्वर्गवास अपने पिता गोपाल से पूर्व ही हो चुका था। स्व0 गोपाल के स्व0 के पश्चात उनकी खातेदारी की भूमि में 1/4 हिस्सा जो वादी व प्रतिवादी नं.1 का शामलाती होना चाहिये था की जगह प्रतिवादी नं. 1 अकेले का नाम दर्ज हो गया। मौके पर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं. 1 बराबर बराबर 1/8, 1/8 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा हक अधिकार है। जिसके लिये दोनो पक्ष राजीरजा है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त अनुसार ग्राम देवीपुरा मे स्थित भूमि ख.न. 449/3.27 व अम्बेडकरनगर में स्थित भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 है0 भूमि में वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। राजीनामा में वादी व प्रतिवादी नं.1 की संबंधित अधिवक्ताओ द्वारा की जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार ग्राम चिराना की भूमि ख.न. 237 रकबा 29 बीघा 15 बिश्वा, ख.न. 238 रकबा 4 बिश्वा की खातेदारी गोपाल मंगला पुत्रान कुशला गुजर ब.हि. बराबर दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम चिराना तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 261 से 457/3.27, 237 से नये ख.न. 466/0.02, 468/5.48 तथा गत ख.न. 238 से नया ख.न. 467/0.05 है0 बने तथा इसके बाद नये मिलान क्षैत्रफल संवत 2055–58 ग्राम चिरान के अनुसार ख.न. 457 से 449/3.27, 466 से 459/0.02, 467 से 460/0.05, 468 से 461/5.48 बनना प्रमाणित है। जमाबंदी ग्राम देवीपुरा संवत 2075 से 2078 के अनुसार भूमि ख.न. 449/3.27 है0 में भंवर पुत्र श्योपाल हि0 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी संवत 2075 से 2078 ग्राम अम्बेडकर नगर की भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 किता 3 कुल रकबा 5.55 है0 में भंवरलाल पुत्र श्योपाल हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी की पैत्रिक भूमि होना साबित है। वाद पत्र व राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी नं.1 सगे भाई है। वादग्रस्त आराजी पैत्रिक भूमि है परन्तु रिकार्ड केवल भंवर पुत्र श्योपाल अकेले के नाम से दर्ज रिकार्ड हौ जिसके संबंध मे राजीनामा पेश कर भंवरलाल पुत्र श्योपाल के वादग्रस्त आराजी में 1/2, 1/2 अर्थात कुल भूमि का 1/8, 1/8 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं.1 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया है। हालांकि भूमि राजस्व रिकार्ड में रहन दर्ज है लेकिन वादी ने दिनांक 23.07.19 को बैंक द्वारा भूमि रहनमुक्त करने बाबत पत्र जारी किया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि ख.न. 449/3.27, ग्राम अम्बेडकर नगर की भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 है0 में प्रतिवादी नं. 1 भंवरलाल पुत्र श्योपाल हि0 1/4 के स्थान पर वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि भूमि रहन मुक्त होने पर मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5.8.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0)

दावाः बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 116/2019 (मदनलाल बनाम भंवरलाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की भूमि ख.न. 449/3.27, ग्राम अम्बेडकर नगर की भूमि ख.न. 459/0.02, 460/0.05, 461/5.48 है0 में प्रतिवादी नं. 1 भंवरलाल पुत्र श्योपाल हि0 1/4 के स्थान पर वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि भूमि रहन मुक्त होने पर मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

जिनके......–..................... मुबलिग............–............बाबत......–..................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.......–...........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 05 माह 08 सन ..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00